कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

//निविदा आमंत्रण सूचना//

जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर हेतु साफ–सफाई सामग्री के क्रय बावत सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद कर पूर्ण जानकारी सहित जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में दिनांक 09.06.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक आवक–जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 10.06.2023 को दोपहर 2.00 बजे निविदा समिति के समक्ष निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सामग्री की सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट **www.mphc.gov.in,** जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **www.districts.ecourts.gov.in/gwalior** एवं **https://mptenders.gov.in** पर भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं।

18.5.23

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

परिशिष्ट–ए

<u>साफ–सफाई सामग्री</u>

क.	सामग्री का नाम विवरण सहित	01 वर्ष में क्रय की जाने वाली संभावित सामग्री	निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रति नग दर जीएसटी रहित	निविदाकर्ताद्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रति नग दर जीएसटी सहित
1	फिनाइल डॉलफिन ब्राण्डेड 05 ली. केन में	500 ली.		
2	फिनाइल काली ब्राण्डेड 05 ली. केन में	500 ली.		
3	हाईपोक्लोराईड ब्राण्डेड	500 ली.		
4	तेजाब 05 ली. केन में	500 ली.		
5	हार्पिक बड़ी ब्लू	100 नग		
6	हार्पिक बड़ी रेड	100 नग		
7	फिनायल गोलियां सफेद पैकेट ब्राण्डेड	200 पैकेट		
8	फिनायल कलर गोलियां पैकेट ब्राण्डेड	200 पैकेट		
9	लायजोल	100 नग		
10	झाडू फूल	200 नग		
11	सींक झाडू	200 नग		
12	बांस झाडू डण्डे वाली	100 नग		
13	बांस झाडू बिना डण्डे वाली	100 नग		
14	पोंछा कपड़े 24X24 इंच	200 नग		
15	पोंछा डण्डे (24 इंच)	200 नग		
16	वायपर	100 नग		
17	सर्फ निरमा	100 नग		
18	रिन साबुन बड़े	100 नग		
19	ऑल आउट कम्पलीट(मशीन एवं रिफिल)	100 नग		
20	ऑल आउट रिफिल	100 नग		
21	गुडनाईट कम्पलीट(मशीन एवं रिफिल)	100 नग		
22	गुडनाईट रिफिल	100 नग		
23	ओडोनिल	200 नग		
24	डिटॉल हैण्डवॉश 200 एम.एल. बोतल	50 नग		
25	डिटॉल हैण्डवॉश 750 एमएल पाउच	100 नग		
26	लाईफबॉय हैण्डवॉश 200 एम.एल. बोतल	50 नग		

27	लाईफबॉय हेण्डवॉस 750 एमएल पाउच	100 नग		
28	कोलिन	100 नग		
29	लाईफबॉय साबुन बड़े	100 नग		
30	डिटॉल साबुन बड़े	100 नग		
31	बड़ी डस्टविन हेतु काली पन्नी	200 नग		
32	लाल हिट	50 नग		
33	काला हिट	50 नग		
34	वॉशरूम सफाई ब्रुश	50 नग		

<u>टीप</u> :–

1. उपरोक्त तालिका में दर्शित क्रय की जाने वाली सामग्री की संख्या संभावित है, जिसमें आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
2. उपरोक्त तालिका में जिन सामग्री की कंपनी का नाम दर्शित है, उन्हीं कंपनी की सामग्री की दर निविदाकर्ता प्रस्तुत करे एवं जिस सामग्री में कंपनी का नाम दर्शित नहीं है, उनमें निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की कंपनी का नाम दर्शित किया जावे।

18.5.

वास्ते– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :–

परिशिष्ट–बी
तकनीकी विड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	वित्तीय, तकनीकी विड एवं ई.एम.डी. के अलग–अलग लिफाफे	
2	ई.एम.डी. / एफडीआर साफ–सफाई सामग्री हेतु राशि 10000 / – रूपये	
3	पेन नंबर	
4	आयकर विवरणी	
5	जीएसटी रजिस्ट्रेशन	
6	नगद जमा की रसीद / डीडी राशि 500 / –	

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

:: निविदा शर्ते ::

1— सील बंद निविदायें प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर के नाम से दिनांक 09.06.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। उक्त निविदा दिनांक 10.06.2023 को दोपहर 2.00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला न्यायालय में गठित निविदा समिति द्वारा खोली जावेगी।

2— जिस सामग्री के संबंध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम निविदा फार्म पर स्पष्ट लिखा जावे।

3— नियत दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

4— आदेशानुसार सामग्री न्यायालय तक पहुंचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

5— प्रधान जिला न्यायाधीश ग्वालियर को यह अधिकार होगा कि, निविदा खोलते समय यदि किसी सामग्री की दर अन्य निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार पर एक से अधिक निविदाकर्ताओं से प्रथक–प्रथक अनुबंध किया जा सकता है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।

6— निविदा में प्रत्येक सामग्री किस कंपनी द्वारा निर्मित है, सामग्री का साईज नाप, तौल आदि निविदा में अंकित करना अनिवार्य है।

7— निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।

8— निविदाकार द्वारा दी गई सूची की सामग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होगा।

9— प्रदाय की गई कोई भी सामग्री चाही गई कंपनी की ना होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सभी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा कंपनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

10— निविदा से संबंधित शर्ते एवं प्रदाय किये जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की बेवसाईट **www.mphc.gov.in** एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट **www.districts.ecourts.gov.in/gwalior** से डाउनलोड की जाकर रूपये 500/— रूपये नगद/डीडी नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर में जमा कर प्राप्त रसीद की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न कर दिनांक 09.06.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक आवक–जावक शाखा में जमा की जावेगीं। डीडी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से देय होगा।

11— सामग्री का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि में प्रदाय करनी होगी।

12— निविदा की दरें अनुबंध दिनांक से 31.03.2024 तक मान्य होगी एवं अनुबंध आपसी समझौते पर और विक्रेता के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन अनुमोदित दरों पर आगामी एक और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

13— निविदाकार, वाणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन होने का जीवित प्रमाण—पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है उस पर कोई कर बकाया नहीं है, स्पष्ट करें।

14— साफ—सफाई सामग्री की सूची के अनुसार जिन सामग्रियों के निर्माता कम्पनियों के नाम अंकित हैं, केवल उन्हीं कंपनियों की सामग्री की दर देवें। अन्यथा मान्य नहीं होगी।

15— निविदाकारों को साफ—सफाई सामग्री हेतु 10000/— रूपये की ईएमडी/एफडीआर के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी, जो कि 31 मार्च 2024 तक वैद्य हो। एफडीआर के अतिरिक्त कोई भी ईएमडी जमा करने पर निविदाकारों की निविदा निरस्त की जा सकती है। असफल निविदाकर्ता की ईएमडी/एफडीआर वापिस कर दी जावेगी।

16— सभी साफ—सफाई सामग्री के ब्रान्डेड/नान ब्रान्डेड के नमूने निविदा खोली जाते समय निविदा समिति द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

17— किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।

18— शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।

19— सम्पूर्ण सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जाये।

20— **वित्तीय/तकनीकी लिफाफे** — निविदाकर्ता प्रथक—प्रथक वित्तीय, तकनीकी एवं ई.एम.डी. की राशि वाले लिफाफे तैयार कर उन पर वित्तीय, तकनीकी विड, ई.एम.डी. लेख करते हुए उक्त तीनों लिफाफों को चौथे लिफाफे में सीलबंद कर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

21— निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड एवं ईएमडी की राशि के लिफाफे खोले जायेगें। जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जायेगें। उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय विड के लिफाफे खोले जायेगें।

22— निविदाओं द्वारा सामग्री की जो भी दरें दी गई हैं, वह एक वर्ष के लिये यथावत रहेगी निविदाकारों द्वारा किसी भी वस्तु की दर बढ़ाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

23— सफल निविदा होने पर निविदाकर्ता से अनुबंध दिनांक से 31.03.2024 तक अनुबंध किया जायेगा, जोकि 500/— रूपये के नॉनज्यूडिसियल स्टाम्प पर संपादित किया जायेगा। अनुबंध की शर्ते प्रथक से स्वीकार होगीं।

24— निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, जिला न्यायालय ग्वालियर के मोबाईल कमांक 9826586446 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

18.5.4

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :—